

# LATEHAR NAGAR PANCHAYAT

इससे संबंधित नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संचालनी कर की सूचना।

Memo No. : 727348250622060256  
Date : 25-06-2022  
वर्षादी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/शुभ्री Nirmala kumar W/O premchand prasad,  
श्री/श्रीमती Anwarthkar Latehar LATEHAR  
LATEHAR, 8292006  
9851629448

एतद्वय द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका संचालनी गृह सं - 0100000794000000 नार्ड सं- 10 हुआ है, आपके संचालनी निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रूप में निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

## स्व-निर्धारित कर की सूचना

क्रम सं*	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	61.00
2.	जल कर	0.00
3.	सौभाग्य कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		61.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सुची, LATEHAR NAGAR PANCHAYAT Website, [www.latehar.org.in](http://www.latehar.org.in) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली संख्या 11.4 के अन्तर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।  
दिये गए नोट में है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना तथा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैधानिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूर्ति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिवाइब टी जायगी।
5. किसी देय पूर्ति को निर्दिष्ट सम्पत्ति (प्रत्येक तिमाही) के अन्तर्गत या उसके पूर्व नहीं चुकाना जाता है, जो 15% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण पत्र की सही घोषणा के अन्तर्गत पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-जीर्ण पत्र की कानूनी शर्तों तथा समय निगम करार सकती है एवं तथ्य गम पत्र जाने पर नियमावली संख्या 13.2 के अनुसार निर्धारित मासिक (Fine) एवं अन्तर्गत देय होगा।
7. LATEHAR NAGAR PANCHAYAT द्वारा संचालित इस सम्पत्ति कर इन इनसुरेंसों को कोई कानूनी वैधियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मासिक / दसकलकर को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होस्टिंग नंबर का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विविध संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.